तत् त्वं पूषन अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

एक कदम स्वच्छता की ओर

# पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय खरगोन
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KHARGONE
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
(Under Ministry of Education, Govt. of India)
कसरावद रोड, खरगोन, मध्य प्रदेश - 451001
Kasrawad Road, Khargone, Madhya Pradesh - 451001

दूरभाष :- 07282-292009 ईमेल :- principalkvkhargone@gmail.com वेबसाइट :- khargone.kvs.ac.in

CBSE Affiliation No. :- 1000030 | Email :- principalkvkhargone@gmail.com | CBSE School Number :- 19279 | KV Code :- 1119 | KV Station Code :- 069

**विषय: अनुपयोगी सामग्री / कबाड़ की बिक्री हेतु।**

**सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय खरगोन में अनुपयोगी घोषित की गई विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे - टूटा-फूटा फर्नीचर (लोहा-लकड़ी), पुराने कम्प्यूटर, प्रिंटर, बैटरी, टायर-ट्यूब, पुरानी फाइलें, रद्दी पेपर, प्लास्टिक स्क्रैप आदि की बिक्री खुली नीलामी / निविदा के माध्यम से "जहाँ है, जैसा है" (As is where is basis) के आधार पर की जानी है।**

**इच्छुक अधिकृत वेंडर / कबाड़ी / फर्म दिनांक 29.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे से 3 नवंबर 2026 दोपहर 2:00 बजे तक विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं।**

**नीलामी के नियम एवं निर्देश:**

**1. बोली लगाने के लिए प्रत्येक बोलीदाता को आधार कार्ड / फर्म का GST प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा करनी होगी।**
**2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व अग्रिम धरोहर राशि (EMD) के रूप में रु. 5000/- (पाँच हजार मात्र) नकद जमा करना अनिवार्य होगा, जो असफल बोलीदाता को उसी दिन वापस कर दी जाएगी।**
**3. सफल उच्चतम बोलीदाता को बोली की 100% राशि उसी दिन / 24 घंटे के भीतर विद्यालय में नकद / DD के माध्यम से जमा करनी होगी।**
**4. सफल बोलीदाता को अपने व्यय पर 3 दिवस के भीतर सम्पूर्ण कबाड़ सामग्री विद्यालय परिसर से उठानी होगी।**
**5. सामग्री की तौल / गिनती की व्यवस्था व मजदूरी का खर्च क्रेता का होगा।**
**6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमानुसार वीडिंग आउट / निस्तारण की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।**
**7. प्राचार्य / विद्यालय प्रबंधन समिति को बिना कारण बताए किसी भी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।**

**प्राचार्य**
**पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय खरगोन**